

**फर्द अहकाम**  
(धारा 25)

आज अदालत - उपखण्ड अधिकाारी मुद्रण - जहाजपुर (भीलवाडा)


भारत किने किता भवतिह तदनुषर कि. कुचलवाडा कला प.ह.क  
मुद्रण या कार्यावाही पत्र प्रतिशोधन कला

भारती किने किता भवतिह तदनुषर कि. कुचलवाडा कला  
मुद्रण या कार्यावाही पत्र प्रतिशोधन कला

मुद्रण नं. 111/2022

№.05.22

तारीख मुद्रण	मुद्रण या कार्यावाही पत्र प्रतिशोधन कला	मुद्रण नं. 111/2022
<p>प्राथना पत्र शिर्षे से बाद जीव रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जारिये अभिभाषक प्राथना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम कुचलवाडा कला प.ह.क का तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 812/8, 828 829/2, 833, 811, 830, 832, कुल किता 07 रकबा 4.9373 हैक्टयर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पञ्जोरी अप्रार्थीगण है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्राथना पत्र की तार्दद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मेने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमावन्दी सम्वत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्राथना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट रवीकार किया जाता है तथा भूमि भूमि ग्राम कुचलवाडा कला प.ह.क तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 812/8, 828 829/2, 833, 811, 830, 832, कुल किता 07 रकबा 4.9373 हैक्टयर की पञ्जोसियान की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1500- रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p align="right">आदेश आज दिनांक 15.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	<p>मुद्रण नं. 111/2022</p>	

  
 उपखण्ड अधिकाारी,  
 जहाजपुर(भीलवाडा)